संख्या- 10/2026/49-3099/9/2026-I/1239610/2026

प्रेषक:

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
उ0प्र0 शासन।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025 -26 के आय- व्ययक में '' नये जिला सहकारी बैंक के गठन हेतु पूंजीगत योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-458/लेखा-अ/2025-26, दिनांक 16 जनवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में '' नये जिला सहकारी बैंक के गठन हेतु लेखाशीर्ष 4425- सहकारिता पर पूॅजीगत परिव्यय, 107- क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश, 07- नये जिला सहकारी बैंक का गठन, 30- निवेश/ऋण '' योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नये जिला सहकारी बैंक के गठन हेतु लेखाशीर्ष 4425- सहकारिता पर पूॅजीगत परिव्यय, 107- क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश, 07- नये जिला सहकारी बैंक का गठन, 30- निवेश/ऋण '' योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि **रूपये 100.00 लाख** (रूपये एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नलिखित नियमों / शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

<u>नियम / शर्तें / प्रतिबन्ध</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ का होगा।
(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ का होगा।
(4) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ का होगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।
(7) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के नियम, शर्तें एवं दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(10) नव गठित होने वाले जिला सहकारी बैंक के क्रिया-कलाप एवं प्रगति का निरंतर अनुश्रवण(मॉनिटरिंग)/ समीक्षा इस प्रकार किया जाये कि संबंधित बैंक लाभ में रहे तथा उसे पुन: किसी प्रकार के अनुदान की आवश्यकता न पड़े, इसका दायित्व आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ का होगा।
(11) प्राविधानित धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रकार किया जायेगा कि धनराशि का व्यावर्तन अन्य योजना/कार्यक्रम में न हो।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **रूपये 100.00** (रूपये एक करोड़ मात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 018 लेखा शीर्ष 4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय, 107- क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश, 07- नये जिला सहकारी बैंक का गठन, 30- निवेश (गैर -वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न **अशासकीय संख्या-E-2-158-X-2025-26-दिनांक:13-2-2026** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उ०प्र० लखनऊ / प्रयागराज।
3) अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (बैंकिंग), सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ।
4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ ।
6 प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।
7) संयुक्त आयुक्त् एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, देवीपाटन मंडल, गोंडा द्वारा आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ ।
8) सहायक आयुक्त् एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, बलरामपुर द्वारा आयुक्त् एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ ।
9) वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक), अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ।
11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।